

20/05/28 प्रयाग की आज पेचा हुआ वकील
कादी कपल मूल डाक स्वीकार
होने से हलगत आर्केस का कौड
केचिद्व्य नहीं रहने से हलगत
आर्केस में निस्तारित किया जाता
है प्रयाग की फलत सुभर होकर
दाखिल इफर होकर